

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2124 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25.02.2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय सं० 309 ए० के किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के संबंध में।(प्रस्ताव सं०-151120/2022)

सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्र संख्या- 8बी/यू०सी०पी०/०६/८०/२०२२/एफ०सी०/दि० 03.04.2022

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, के पत्रांक- 4014/12-1(2) दिनांक- 17.02.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।
संलग्न- (तीन प्रतियों में)।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कायालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा



दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 4014 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 17/02/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के कि०मी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के संबंध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022)

संदर्भ— अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत का पत्रांक 153/1 सी० दिनांक 27.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग से प्राप्त किये जाने के उपरान्त निम्नवत बिन्दुवार आपत्ति प्रत्युत्तर प्रेषित किया जा रहा है—

क्र०सं०	आपत्तियां	निराकरण
1	The DFO, Almora Forest Division is required to inspect the CA area and submit the detailed report of suitability of the area for raising plantation @ 1000 trees per hectare. if the same is not found suitable, the same is required to be replaced with some other area of additional area may be proposed accommodate the remaining trees.	सी०ए० स्थल परिवर्तित कर नवीन सी०ए० स्थल का चयन करते हुए समल्लित अभिलेख संलग्न कर ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रेषित किये जा रहे हैं।
2	Since the proposal is afflicting huge number of trees i.e 5981 trees (including 3095 saplings), it is requested to minimize the number of trees to be felled in the proposal. A committee shall be constituted under the chairmanship of concerned DFO and representative of the project Authority who will assess the requirement of felling during the construction and order to cut the trees accordingly in order to avoid blanket felling. The same may also be communicated the regional office.	उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309ए के कि०मी० 170 से 206 तक मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण में अधिक पेड़ों (5981 नं०) का पातन प्रस्तावित होने के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 5056/12-1(2) दिनांक 24.04.2024 द्वारा पेड़ों का पातन न्यून किये जाने के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित समीति के सदस्यों अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत, उपप्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा, वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 03.05.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में एक तरफ हिल साइड व दूसरी तरफ खड्ड साइड है। मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण हेतु गठित वन भूमि प्रस्ताव में पेड़ों के न्यून पातन को दृष्टिगत रखते हुए ही तत्समय मार्ग का समरेखन निर्धारित किया गया है, चूँकि मार्ग पूर्व निर्मित है जिसकार दो लेन में चौड़ीकरण प्रस्ताव है। अगर वैकल्पिक समरेखन पर विचार किया जाता है तो ओर अधिक पेड़ों के प्रभावित होने की सम्भावना है। (संयुक्त निरीक्षण की आख्या संलग्न-01 पृष्ठ)। मार्ग चौड़ीकरण हेतु पूर्व

		में चिन्हित 5981 नं० पेड़ों का पातन किया जाना आवश्यक है।
3	State government is also requested to submit the wildlife mitigation plan in the proposal.	अनुमोदित wild life mitigation plan संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4	इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में यह पाया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर-वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर-वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के पैरा 16(8) (ii) अनुसार 'any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted in-principle approval' under the adhiniyam' अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर वन भूमि का चयन कर प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहली के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के पत्रांक 1754(1)/26 एफ0सी0/2024-25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा तहसील सल्ट व भिकियासैण में 36.81 है० भूमि उपलब्ध करयी गयी, जिसका वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। चयनित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या, KML file, digital map, Geo refrance map, DSS report संलग्न है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

उक्त के क्रम में आपसे निवेदन है कि उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 4014 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, रा0रा0खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।